फोन नं. 07723–223834
फैक्स नं. 07723–224036
email : zp-msamund.cg@nic.in

जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.)

//भर्ती हेतु विज्ञापन//

क्रमांक /1160/ MGNREGS / जि.पं. / 2018–19 — महासमुन्द, दिनांक 21/12/2018

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 695 / पंग्राविवि / 22 / 2018 रायपुर दिनांक 27.02.2018 द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वीकृत पदों में से जनपद पंचायत स्तर पर रिक्त अधोलिखित पद पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 04/01/2019 को सायं 05:30 बजे तक निर्धारित नियम एवं शर्तो के अधीन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र	पद का नाम	एकमुश्त संविदा वेतन	रिक्त पद संख्या	अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित				
				महिला	दिव.	भूपूसै	मुक्त	योग	महिला	दिव.	भूपूसै	मुक्त	योग	महिला	दिव.	भूपूसै	मुक्त	योग	महिला	दिव.	भूपूसै	मुक्त	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	कार्यक्रम अधिकारी	28080/–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग :–			योग	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

शैक्षणिक योग्यता एवं चयन हेतु मेरिट अंक :–

कमांक	पदनाम का नाम	विवरण	शैक्षणिक योग्यता एव चयन मेरिट अंक
1.	कार्यक्रम अधिकारी	न्यूनतम	प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए. / बी.ई. / गणित अथवा भौतिक विषय में स्नातकोत्तर
		चयन हेतु मेरिट के अंक	1. न्युनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का weightage देते हुए 70 अंक।
			2. कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंक का Weightage देते हुए 15 अंक।
			3. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभवः–
			अ. न्यूनतम 1 से 02 वर्ष तक का अनुभव 05 अंक।
			ब. 05 वर्ष तक अनुभव 10 अंक।
			स. 05 वर्ष से अधिक का अनुभव 15 अंक।

नियम एवं शर्ते :–

1. उपरोक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) कं. 591 / 2012 रिट पिटी. कं. 592 / 2012 रिट पिटी कं. 593 / 2012 रिट पिटी कं. 594 / 2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
2. उपरोक्त पदों में प्रचलित आरक्षण नियमों अनुसार प्रत्येक संवर्ग के महिला (30 प्रतिशत), भूतपूर्व सैनिक (10 प्रतिशत) एवं विकलांग (06 प्रतिशत) के लिये समस्तर आरक्षण रहेगा। महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी संवर्ग के मुक्त वर्ग के अभ्यर्थी से चयन किया जावेगा।
3. शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
4. संविदा नियुक्ति नियुक्त उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28.02.2019 तक के लिए होगी तत्पश्चात नियुक्तिकर्ता अधिकारी कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
5. संविदा नियुक्ति अवधि में शासन द्वारा निर्धारित संविदा वेतन देय होगा।
6. आवेदक की आयु दिनांक 01.10.2018 की स्थिति में न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। शासन द्वारा आयु सीमा में दी गई छुट लागू होगी।
7. रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई–बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा 31 मार्च 2019 तक किसी भी कारणों से उत्पन्न रिक्तियो पर इसी विज्ञापन में प्राप्त आवेदनों से नियमानुसार नियुक्ति की जा सकेगी।
8. संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम 2012 में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी एवं नियुक्त कर्मचारी छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे।
9. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षो में से एक किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
12. चयन की कार्यवाही एवं संपूर्ण प्रक्रिया इस हेतु गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जावेगी।
13. अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर चयन समिति द्वारा आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग कर उपयुक्त संख्या में उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
14. जिन उम्मीदवारों को कम्प्यूटर व प्रायोगिक / कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, उनके कौशल परीक्षा में अनुपस्थिति की दशा में उन्हे अपात्र माना जाएगा।

15 विज्ञापित पदों पर शैक्षणिक आहर्ता/आयु/अनुभव आदि के संबंध में अस्पष्टता की स्थिति में शासन द्वारा जारी दिशा/निर्देशों के तहत निर्णय लिया जावेगा।

16 अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. की जाति की पुष्टि हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायप्रति संलग्न करना होगा।

17 आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ फोटो, वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की छायाप्रति स्वप्रमाणित होना चाहिए।

18 अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नही दी जावेगी।

19 लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखें।

20 आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/ स्पीडपोस्ट से ही स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रूपये का टिकट लगा हुआ दो लिफाफा भी संलग्न करें।

21 अनुभवी अभ्यर्थी को कार्यरत संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश एवं अनापत्ति /अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

22 प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

23 आवेदक का आवेदन दिनांक 04/01/2019 को सायं 05:30 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

24 विज्ञापित पदों पर की जा रही भर्ती के संबंध में आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सूचना भेजी जावेगी और उसे www.cg.nic.in/mahasamund अथवा www.zpmahasamund.cgpanchayat.gov.in एवं www.cgstate.gov.in वेबसाईट में भी अपलोड किया जावेगा। किसी कारण से यदि व्यक्तिगत सूचना के प्राप्ति में विलंब होने अथवा सूचना प्राप्त न होने पर वेबसाईट में जारी जानकारी/सूचना को ही आवेदक को सूचना माना जावेगा।

25 विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला पंचायत महासमुन्द के सूचना पटल पर एवं www.cg.nic.in/mahasamund अथवा www.zpmahasamund.cgpanchayat.gov.in एवं www.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।

26 आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतू पात्र नही होगा।

27 आवेदक जिनकी दो से अधिक संताने है जिनमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो , नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

28 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पति /पत्नि जीवित हो पात्र नही होगा।ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता हैं।

29 ऐसे आवेदक जिन्हे पूर्व में अनियमित्ता के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत किसी पद से पृथक किया गया अथवा उनकी संविदा सेवा वृद्धि नही की गयी है, वे चयन के लिए पात्र नही होंगें।गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

ऋतुराज रघुवंशी (IAS)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुंद

पृ.क्रमांक/11602 MGNREGS/जि.पं./2018–19 महासमुन्द, दिनांक 21/12/2018

प्रतिलिपिः–

कलेक्टर जिला महासमुन्द को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुंद